प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः **A.C.B O.P. BHIWADI** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2023
   प्र.ई.रि.सं. 294/2023 दिनांक 16/11/2023

2.–(1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारायें 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारायें....................
   (3) अधिनियम.............................. धारायें..................................
   (4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 265 समय 5.20 PM.
   (ब) अपराध के घटने का दिनः दिनांक 05.10.2023
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक –05.10.2023

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक– लिखित

5–घटनास्थल :
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः दक्षिण–पश्चिम, दूरी करीब 165 किलोमीटर
   (ब) पताः– कार्यालय उप तहसील ताला जिला जयपुर
   बीट संख्या ....जरायमदेही सं........
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना ....जिला..........

6.– परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ)नाम :– श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया
   (ब)पिता का नाम :– श्री प्रभुदयाल नटवाडिया
   (स)जन्म तिथि :– 35 वर्ष
   (द)राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य)पासपोर्ट संख्या......................जारी होने की तिथि......................जारी होने की जगह
   (र)व्यवसायः–
   (ल)पताः–निवासी वार्ड नम्बर 6 नटवाडियों की ढाणी, शांहपुरा, पुलिस थाना शाहपुरा जिला जयपुर मोबाईल नं. 9057172771

7.– ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1 श्री राकेश मीणा पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम ढेकला, पोस्ट दंताला वाया गठवाडी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक / पंजीयन लिपिक, कार्यालय उप तहसील ताला जिला जयपुर

8.– परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– .....

10.–चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः–

11.–पंचनामा / यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)...

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय,

वाक्यात मुकदमा इस प्रकार है कि दिनांक 04.10.2023 वक्त करीब 06:15 पी. एम. मन् उप अधीक्षक पुलिस परमेश्वर लाल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर से मोबाईल पर सूचना प्राप्त हुई कि परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया पुत्र श्री प्रभुदयाल नटवाडिया जाति जाट निवासी– वार्ड नम्बर 6 नटवाडियों की ढाणी, शांहपुरा, पुलिस थाना शाहपुरा जिला जयपुर जिसके मोबाईल नं. 9057172771 है। उक्त परिवादी ट्रैप कार्यवाही करवाना चाहता है। आप दिनांक 05.10.2023 को प्रातः 10.30 ए.एम तक मनोहरपुर जिला

जयपुर टोलप्लाजा पर उक्त परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करें। उक्त निर्देश की पालना में मन् उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 05.10.2023 वक्त करीब 07:30 ए.एम. पर कानि0 श्री राजवीर सिंह के मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में 64 जीबी मैमोरी कॉर्ड डालकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं लैपटॉप मय प्रिन्टर सहित परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु जरिये प्राईवेट वाहन रवाना होकर वक्त करीब 10.30 ए.एम. पर मनोहरपुर टोल प्लाजा पर पहुँचा। परिवादी से मोबाईल पर सम्पर्क किया तो परिवादी श्री प्रेमप्रकाश मन् उप अधीक्षक पुलिस समक्ष उपस्थित आया। परिवादी को प्राईवेट वाहन में हमराह लेकर रोड के एक साईड में एकांत जगह पर गाडी को रोककर परिवादी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया पुत्र श्री प्रभुदयाल नटवाडिया जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी– वार्ड नम्बर 6 नटवाडियों की ढाणी, शांहपुरा, पुलिस थाना शाहपुरा जिला जयपुर मोबाईल नं. 9057172771 होना बताया। परिवादी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया। परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि "सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भिवाडी। विषयः–रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय निवेदन है कि मै जमीन बेचने व खरीदने का कार्य करता हू। मै अपने 01 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से पार्टीयों से सौदा करता हूं। अभी मैने नेकावाला ग्राम में रधुवीर सिंह चौधरी पुत्र प्रकाश नारायण से 25 बीघा जमीन का सौदा टिवाना ऑयल मिल्स को 6.20 करोड रूपये में करवाया था। तथा कम्पनी ने रजिस्ट्री व नामान्तरण करवाके देने की कहां है। मैने उक्त जमीन की रजिस्ट्री के लिए दोनों पार्टीयों को ताला उप तहसील मे पेश करवाके रजिस्ट्री करवा दी थी। मगर उप तहसील ताला में कार्यरत बाबू श्री राकेश मेरे को रजिस्ट्री देने के लिए 62000/–रूपये जो कुल लागत का .10 प्रतिशत मांगता है। जिस पर मैने उप तहसीलदार से मिला तो उन्होने कहा कि आप श्री राकेश से लेले वो जाने और आप जाने श्रीमान मेरे को राकेश (बाबू) रजिस्ट्री की मूल प्रति रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद ही देगा। रजिस्ट्री करवाने व प्राप्त कर कम्पनी टिवाना ऑयल मिल्स पंजाब को देने के लिए मौखिक रूप से दोनों पार्टीयों ने मुझे बोला है। मै बाबू राकेश, उप तहसील ताला को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ । मैं इन्हे रंगे हाथ रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हूं। मेरी इससे कोई रंजिस नही है। ना ही कोई लेनदेन बकाया है। कृपया कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। प्रार्थी एसडी प्रेमप्रकाश नटवाडिया पुत्र प्रभूदयाल नटवाडिया शांहपुरा, 9057172771।" प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर परिवादी से मजिद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलेख से लिखा होना बताया। संदिग्ध श्री राकेश लिपिक कार्यालय उप तहसील ताला जिला जयपुर द्वारा रिश्वत मांगने पर ब्यूरो मुख्यालय जयपुर पर सूचना देना बताया। श्री राकेश लिपिक से कोई रंजिश नही होना व किसी प्रकार का लेन–देन नही होना बताया। परिवादी की उपरोक्त लिखित तहरीरी रिपोर्ट एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत लेन–देन का पाये जाने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया को अवगत करवाया कि संदिग्ध श्री राकेश, लिपिक कार्यालय उप तहसील ताला द्वारा मांगी जा रही रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना है। उसके द्वारा मांगी जा रही रिश्वती राशि की वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु कही तो परिवादी द्वारा गोपनीय सत्यापन करवाने की सहमति देने पर परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया को हमराह लेकर आये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की विधि समझाई गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही राजवीर सिंह कानि0 एवं परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया के रिश्वती मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु जरिये प्राईवेट वाहन मनोहरपुर टोल प्लाजा के पास से कार्यालय उप तहसील ताला के लिए रवाना होकर वक्त करीब 12:40 पी.एम. पर कार्यालय उप तहसील ताला के पास पहुँचे। श्री राजवीर सिंह कानि0 से परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को सुपुर्द करवाया गया। परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय उप तहसील ताला के लिए रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस व राजवीर सिंह कानि0 के उप तहसील कार्यालय के बाहर ही मुकिम हुआ। परिवादी उप तहसील कार्यालय के अन्दर चला गया। तत्पश्चात वक्त करीब 01:00 पी.एम. परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया

कार्यालय उप तहसील ताला से बाहर निकलकर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि मैं उप तहसील कार्यालय के अन्दर गया तो मुझे श्री राकेश लिपिक उप तहसील कार्यालय में ही मिल गया। मैने उसे रजिस्ट्री देने हेतु कहा तो उसने कहा कि पहले जो बात हुई थी। जो सिस्टम में है वह मुझे लाकर दो तब मैं रजिस्ट्री दूंगा। मैने उसे कहा कि आप द्वारा .10 प्रतिशत राशि मांगी गई थी। इससे 62000/–रूपये बनते है। मै आपको 60,000/–रूपये दे दूंगा। राकेश लिपिक द्वारा 60,000/–रूपये लेने में अपनी सहमति दे दी। मेरे व श्री राकेश लिपिक के मध्य हुई वार्ता को मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से प्राप्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन कर सरसरी तौर पर सुना तो परिवादी के उपरोक्त तथ्यों की ताईद होना पाई गई। आरोपी द्वारा जमीन की कीमत 6.20 करोड़ रूपये का .10 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत मांगने की पुष्टि होना पाई गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। परिवादी द्वारा अवगत करवाया गया कि रिश्वती राशि संदिग्ध श्री राकेश लिपिक को आज ही देनी है एवं राशि मेरे पास उपलब्ध है। परिवादी के उक्त कथन पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह को जरिये मोबाईल सम्पूर्ण हालात से अवगत करवाते हुये मय स्टाफ व दो स्वतंत्र गवाह, ट्रैप बॉक्स मय ट्रैप सामग्री के टोल प्लाजा मनोहरपुर पर पहुँचने हेतु निवेदन किया गया। उक्त समस्त हालात से उच्चाधिकारियों को भी अवगत करवाया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही श्री राजवीर सिंह मय परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया के जरिये प्राईवेट वाहन टोल प्लाजा मनोहरपुर के लिए रवाना होकर वक्त 2:30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही कानि0 श्री राजवीर सिंह एवं परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया के मनोहरपुर टोल प्लाजा के पास मंगलम इन्ड्रटियल पार्क में परिवादी के परिचित के कार्यालय में पहुँचे। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल उक्त स्थान पर पहुँचने हेतु निवेदन किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही कानि0 श्री राजवीर सिंह एवं परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह मय ट्रैप पार्टी सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान के पहुंचने का इन्तजार में मुकीम हुये। वक्त 4:50 पी.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह मय ट्रैप पार्टी सदस्य सर्वश्री साहिब सिंह, सहायक उप निरीक्षक, श्री लल्लूराम कानि0, रामजीत सिंह कानि0, सुनीता महिला हैड कानि0, श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक एवं स्वतंत्र गवाह श्री सत्यवान सिंह वैज्ञानिक अधिकारी व श्री मनीष कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाडी मय ट्रैप बॉक्स मय ट्रैप सामग्री के जरिये राजकीय वाहन मय चालक श्री महेश चन्द के मन उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आये। तत्पश्चात वक्त 4:55 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया का श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह मय ट्रैप पार्टी व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सत्यवान सिंह वैज्ञानिक अधिकारी व श्री मनीष कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाडी से परिचय करवाया गया। दोनों गवाहान व हाजरीन को परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली ट्रैप कार्यवाही व अब तक की गई कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया गया। दोनों गवाहान से ट्रैप कार्यवाही मे बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाहने पर दोनों ने अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी का प्रार्थना पत्र पढकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा समय कम रहने के कारण डीजीटल वॉईस रिकार्डर को ऑन कर रिश्वती मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य अंश दोनों गवाहान को सुनाये गये। तत्पश्चात वक्त 5:15 पी.एम. पर मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया पुत्र श्री प्रभुदयाल नटवाडिया जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 6 नटवाडियों की ढाणी, शांहपुरा, पुलिस थाना शाहपुरा जिला जयपुर ने मांगने परआरोपी श्री राकेश, लिपिक, कार्यालय उप पंजीयक ताला जिला जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500/–रूपये के 120 नोट कुल 60,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिनके नम्बर फर्द अंकित करवाकर पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री

धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से हमराह कार्यालय से साथ लाई हुई फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी में से थोडा सा फिनोफ्थलीन पाऊडर श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से एक साफ अखबार पर निकलवाकर 60,000/-रूपये के नम्बरी नोटो पर भली-भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया की जामा तलाशी गवाह श्री सत्यवान सिंह से लिवाई गई। परिवादी के पास बदन पर पहने हुये परिधान, मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 60,000/-रूपये के नोट परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया के बदन पर पहनी हुई पैन्ट की सामने की बायी जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी श्री राकेश, लिपिक,के मांगने पर ही निकालकर उसे देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत में उक्त नोट प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मोबाईल फोन से मिस कॉल करने का रिश्वत प्राप्ति का ईशारा बताया गया साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि यथा सम्भव परिवादी व आरोपी राकेश लिपिक के मध्य में होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री राजवीर कानि. से गाडी में रखे हुये एक डिसपोजल के साफ गिलास को निकलवाकर उसे साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गाडी के अन्दर रखे हुये ट्रेप बोक्स में से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर गवाह श्री सत्यवान सिंह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, साफ ही रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के अपरिवर्तित घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठें को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो तथा हाजरीन को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिकिया के महत्व को दृष्टांत दिखाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से अलग रखवाई गई तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में राजवीर सिंह कानि के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को बाहरं फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को सावुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को बाहर फिकवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को राजवीर सिंह कानि. से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, राजवीर सिह कानि; के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी प्रेमप्रकाश नटवाडिया को छोडकर दोनों गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्य तथा मन उप अधीक्षक पुलिस की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन उप अधीक्षक पुलिस एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी प्रेमप्रकाश नटवाडिया को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द कर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया जाकर आवश्यक हिदायत दी गई, एवं श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ लिपिक को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी सहित एसीबी कार्यालय भिवाडी के लिए जाने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफैथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पूर्ण की गई। तत्पश्चात वक्त 06:15 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया एवं श्री राजवीर सिंह कानि0 को

परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल से रवाना कर मन उप पुलिस अधीक्षक मय ट्रैप पार्टी के सदस्य सर्वश्री साहिब सिंह, सहायक उप निरीक्षक, श्री लल्लूराम कानि0, रामजीत सिंह कानि0 एवं स्वतंत्र गवाह श्री सत्यवान सिंह वैज्ञानिक अधिकारी व श्री मनीष कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाडी मय ट्रैप बॉक्स मय ट्रैप सामाग्री व लैपटॉप प्रिन्टर के जरिये राजकीय वाहन व प्राईवेट वाहन से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिह को सुपुरविजन हेतु हमराह लेकर वास्ते ट्रैप कार्यवाही मनोहरपुर टोल प्लाजा के पास मंगलम इन्ड्रटियल पार्क में परिवादी के परिचित के कार्यालय से उप तहसील ताला के लिए रवाना होकर वक्त करीब 06:45 पी.एम. पर ग्राम जयचन्दपुरा के पास पहूंचे। मन उप अधीक्षक पुलिस के आगे मोटरसाईकिल से चल रहे परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया व श्री राजवीर सिंह कानि0 ने मोटरसाईकिल को साईड में रोककर मन उप अधीक्षक पुलिस को गाडी रोकने का ईशारा किया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वाहनों को रोकने पर श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया ने मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया और गवाहान व हाजरीन के समक्ष बताया कि मेरे एक परिचित व्यक्ति का मेरे मोबाईल पर फोन आया और उसने मुझे बताया कि उप तहसील कार्यालय का समस्त स्टाफ जा चुका है। उप तहसील कार्यालय में कोई भी कर्मचारी उपस्थित नही है। श्री राकेश लिपिक दौसा के आस–पास का रहने वाला है और वह रोजाना अपडाऊन करता है। वह अपने गांव चला गया होगा। परिवादी के उक्त कथन पर आज कार्यवाही किया जाना सम्भव नही होने के कारण परिवादी एवं श्री राजवीर सिंह कानि0 को परिवादी के साथ मोटरसाईकिल से दोनों वाहनों से मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही स्टाफ, स्वतंत्र गवाहान व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मनोहरपुर टोल प्लाजा के लिए रवाना होकर वक्त 07:15 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मनोहरपुर टोल प्लाजा के पास ऑवरब्रिज के पास सर्विस लाईन पर लगी स्ट्रीट लाईट के पास पहुँचे। वाहनों को स्ट्रीट लाईट के नीचे खडाकरवाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रखी पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 120 नोट कुल 60,000/– रूपये गवाह श्री सत्यवान सिंह से निकलवाकर नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहान से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से करवाकर राशि एक खाकी लिफाफे में रखवाकर श्री लल्लूराम कानि0 को सुरक्षित ट्रैप बॉक्स में रखने की हिदायत दी गई एवं कार्यालय में पहुँचने पर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 07:30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया को ट्रैप कार्यवाही की गोपनीयता रखने एवं दिनांक 06.10.2023 को 10.30 ए.एम पर टोल प्लाजा मनोहरपुर पर उपस्थित मिलने हेतु निर्देश दिये गये तो परिवादी ने अवगत करवाया कि मैं 10:30 ए.एम. पर शाहपुरा में अजीतगढ मोड पर हाईवे पर मिलूंगा। परिवादी को शाहपुरा में अजीतगढ मोड पर मिलने की हिदायत देकर रूखस्त दी गई। दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता रखने एवं दिनांक 06.10.2023 को समय 08.00 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय भिवाडी पहुँचने की हिदायत दी गई। समस्त स्टाफ को गोपनीयता रखने एवं दिनांक 06.10.2023 को तलब करने पर शाहपुरा आने हेतु हिदायत देकर जरिये राजकीय वाहन मय ट्रैप बॉक्स व ट्रैप सामाग्री, लैपटॉप व प्रिन्टर, पाउडरयुक्त ट्रैप राशि एवं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के भिवाडी के लिए रवाना किया। चुँकि ट्रैप कार्यवाही पैण्डिग होने एवं दिनांक 06.10.2023 को आयोजित की जाने के कारण मन उप अधीक्षक पुलिस एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रात्रि को विश्राम हेतु जयपुर नजदीक होने के कारण जरिये प्राईवेट वाहन जयपुर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात दिनांक:–06.10.2023 को वक्त 11:10 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह के जरिये प्राईवेट वाहन जयपुर से रवाना होकर शाहपुरा में अजीतगढ मोड के पास हाईवे पर पहुँचा। जहॉ परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया हाजिर मिला। परिवादी को अपने प्राईवेट वाहन में बैठाया गया। परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे पास कल दिनांक 05.10.2023 को रात्रि को 08.00 पी.एम. के करीब मेरे पार्टनर श्री मुकेश कुमार गुर्जर निवासी–मनोहरपुर का मोबाईल नं. 6350102069 से मेरे मोबाईल नं. 9057172771 पर कॉल आया और मुझे बताया कि श्री राकेश बाबूजी ने रजिस्ट्री मेरे रिश्तेदार को भिजवा दी है। जो मैंने ले ली है और उसको

लेकर टिवाना ऑयल मिल्स के स्टेट मैनेजर श्री अमित मित्तल को दे दी है तथा श्री राकेश लिपिक ने कहा है कि आप को इस सम्बन्ध में उससे मिलने व तहसील आने की जरूरत नही है। श्री राकेश लिपिक को मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के बारे में शायद भनक लग गई है। इस कारण उसने रजिस्ट्री मेरे पार्टनर को भिजवाई है। आज दिनांक 06.10.2023 को प्रातः मैने मेरे एक परिचित से वार्ता की तो उसने मुझे बताया कि श्री राकेश बाबू अवकाश पर चला गया है। श्री राकेश लिपिक कार्यालय उप तहसील ताला अब मेरे से रिश्वत राशि नही लेगा और ना ही उसके पास मेरे से सम्बन्धित कोई कार्य रहा है। तत्पश्चात वक्त करीब 11:25 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह मय परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट वाहन शाहपुरा से कार्यालय एसीबी भिवाडी के लिए रवाना होकर वक्त 2:00 पी.एम. पर कार्यालय भ्रनिब्यूरो भिवाडी पहुँचे। कार्यालय में स्टाफ एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित मिले। तत्पश्चात ट्रैप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। मन उप अधीक्षक पुलिस ने रूबरू गवाहान सर्वश्री सत्यवान सिंह वैज्ञानिक अधिकारी व मनीष कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाडी परिवादी प्रेमप्रकाश नटवाडिया के समक्ष श्री लल्लूराम कानि0 से मांगने पर अपने कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर पेश किया जिसको चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री राकेश लिपिक की वार्ता रिकार्ड थी। रिकॉर्ड वार्ता की हुबहू फर्द ट्रासकिप्ट तैयार करवाई गई। ट्रांसक्रिप्ट कानि0 श्री रामजीत सिंह से टंकण करवाई गई तथा ट्रांसक्रिप्ट का हिन्दी रूपान्तरण साथ साथ करवाया गया। ट्रांसक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। रिकॉर्ड वार्ता को मूल एसडी कार्ड से कम्प्यूटर मे सेव किया गया। सेव की गई की गई रिकॉर्ड वार्ता का कम्प्यूटर की मदद से कानि0 श्री रामजीत सिंह द्वारा चार नई खाली डी.वी.डी मेक WRITEX DVD-R 4.7GB में सग्रहण/डब कराया जाकर डी.वी.डी. पर मार्क ए–1, ए–2, ए–3, ए–4 अंकित कर डी.वी.डी पर सम्बन्धितों के हसताक्षर करवाकर डी.वी.डी मार्क ए–1 मूल प्रति डीवीडी मार्क ए–2 काऊंटर प्रति, डीवीडी मार्क ए–3 मुल्जिम प्रति को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा पुलिस लिया गया एवं एक डीवीडी मार्क ए–4 को वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। एसडी मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर मैमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर मैमोरी कार्ड को खाली डिब्बी सहित एक सफेद कपडे की थैली मे सील मुहर कर मार्क "एस" अंकित कर थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्ता पुलिस लिया गया। डीवीडी मार्क ए–1, ए–2, ए–3 तीनो सील्ड शुदा डीवीडी एवं मैमोरी कार्ड मार्क "एस" सील्ड शुदा को मालखाना प्रभारी श्री लल्लूराम कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 05.10.2023 को मेरे द्वारा श्री राकेश, लिपिक, कार्यालय उप तहसील उप पंजीयन ताला जिला जयपुर द्वारा रिश्वत में मांगी जा रही 60,000/– (साठ हजार रूपये) राशि पेश की थी। लेकिन श्री राकेश लिपिक को भनक लगने के कारण रंगे हाथ रिश्वत लेने की कार्यवाही आगे नही हो सकती है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि मेरे द्वारा पेश की गई 60,000/–राशि साठ हजार रूपये मुझे वापिस दी जावे। चुँकि संदिग्ध आरोपी के द्वारा परिवादी से सम्बन्धित रजिस्ट्री लौटाने एवं कार्यवाही की भनक लगने के कारण उक्त के विरूद्ध आगे ट्रैप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। अतः परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया को उसके द्वारा पेश की गई 60,000/– रूपये रिश्वती से फिनोफैथलीन पाउडर रूबरू गवाहान साफ करवाकर 60,000/–रूपये लौटाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर रसीद पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया को रूकसत दी गई।

उपरोक्त की गई सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया पुत्र श्री प्रभुदयाल नटवाडिया जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी– वार्ड नम्बर 6 नटवाडियों की ढाणी, शांहपुरा, पुलिस थाना शाहपुरा जिला जयपुर 01 प्रतिशत कमिशन के हिसाब से पार्टीयों को जमीन के सौदे करवाता है। परिवादी द्वारा ग्राम नेकावाला में श्री रघुवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री प्रकाश नारायण से 25 बीघा जमीन का सौदा टिवाना ऑयल

मिल्स पंजाब को 06.20 करोड़ रूपये में करवाया था। कम्पनी ने रजिस्ट्री व नामान्तरण करवाकर देने की परिवादी को कहने पर परिवादी द्वारा दोनों पार्टीयों को उप तहसील ताला में पेश कर रजिस्ट्री करवा दी। श्री राकेश पंजीयन लिपिक ने मूल रजिस्ट्री देने की एवज में परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया से जमीन की कीमत के .10 प्रतिशत के हिसाब से 62000/– रूपये रिश्वत की मांग की। वक्त रिश्वती मांग सत्यापन आरोपी श्री राकेश पंजीयन लिपिक ने जमीन की कीमत के .10 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग की। परिवादी द्वारा .10 प्रतिशत के हिसाब से 62000/– रूपये के स्थान पर 60000/–रूपये देने की कहने पर 60,000/–रूपये लेने में सहमत होना तत्पश्चात परिवादी श्री प्रेमप्रकाश नटवाडिया द्वारा करवाई जा रही ट्रैप कार्यवाही की भनक लगने पर परिवादी से सम्बन्धित मूल रजिस्ट्री उसके पार्टनर श्री मुकेश कुमार गुर्जर निवासी–मनोहरपुर के रिश्तेदार को भिजवा दी गई। उपरोक्त कार्यवाही से श्री राकेश पंजीयन लिपिक, कार्यालय उप तहसील ताला जिला जयपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री राकेश मीणा पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम ढेकला, पोस्ट दंताला वाया गठवाडी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक/पंजीयन लिपिक, कार्यालय उप तहसील ताला जिला जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(परमेश्वर लाल)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर द्वितीय हाल भिवाडी।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वितीय हाल भिवाड़ी, ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से अभियुक्त श्री राकेश मीणा पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा, निवासी गांव ढेकला, पोस्ट दंताला वाया गठवाडी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक/पंजीयन लिपिक, कार्यालय उप तहसील ताला जिला जयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट 294/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार कता की गई।

16.11.23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर।

क्रमांक 3049-52 दिनांक 16.11.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर **प्रथम**।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, हाल भिवाडी।

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर।